

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 35 अ-82/16-17/ मुलताई / 5298

बैतूल दिनांक 4 - 06-2019

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	मुलताई	0.811	उप मुख्य अभियन्ता निर्माण मध्य रेल्वे अजनी नागपुर (महा) एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	ईटारसी- नागपुर तीसरी लाईन

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	भन्नू वल्द छुरी फत्तू वल्द भभूत्या फकीरचंद चित्तू वल्द कोल्हू मुन्नी पिता कोल्हू सा. परमंडल	239/1	0.065	0.030
		239/3	0.648	0.074
2	मुन्नी पिता कोल्हू निवासी परमंडल	239/2	0.282	0.062
3	भैयालाल हरिदास, चेतन वल्द ओझा किरण गीता, सरोज, सुनिता पिता ओझा गजराबाई बेवा ओझा जाति मेहरा सा. देह	241	1.143	0.074

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
4	महादेव, शिवदास वल्द लक्ष्मण, सहमद बेवा लक्ष्मण, गणेश मुकेश वल्द शंकर इमरती बेवा शंकर सा. मेहकर	242	2.287	0.063
5	बंधीलाल वल्द जाधो सा. परमंडल	243/5	1.283	0.022
6	राजेश कुमार अशोक कुमार वल्द गेंदलाल, ज्योति पिता गेंदलाल जाति पंवार	244/2	0.397	0.033
7	मालतीबाई बेवा बिहारीलाल, सुरेश, दिनेश, व0 बिहारीलाल निर्मलाबाई पति सुखराम पिता बिहारीलाल सा. देह	245/1	0.294	0.116
8	कमलेश वल्द हीराजी, दुलारी संगीता पिता हीराजी, कमल ना. बा.वल्द हीराजी वली मां सुधा सुधा बेवा हीराजी जाति पंवार सा. देह	245/2	0.320	0.103
9	हीराबाई बेवा सावन्या, गणेश वल्द सावन्या शकुन्तला पिता सावन्या जाति पंवार सा. देह	245/3	0.305	0.080
10	शांती जौजे बाबूलाल सा.देह	246	0.801	0.053
11	लूथा जौजे. नत्थू माधो वल्द टुकड्या लालजी वल्द कन्हैया सोनाय बेवा कन्हैया, भूरसी जौ. रामचन्द्र सा. परमंडल	273	0.049	0.027
12	श्री रामचन्द्र जी मंदिर	356	0.040	0.060

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
13	तारेश कुमार वल्द मुन्नालाल ना. बा. अनिता पिता मुन्नालाल, वली मां मुन्नी, मुन्नी बेवा मुन्नालाल सुशीला जौजे इन्द्रपाल भिक्या वल्द मिट्टू सरस्वती जौजे बाजेराव, हेमलता जौजे लक्ष्मी नारायण विजय कुमार प्रशांत कुमार वल्द राधाकृष्ण टुकड़दास रमेश, गणेश, मनोहर, दीनू वल्द सोजर सरस्वती सुखवती पिता सोजर सुबेबाई जौजे अर्जुन नान्हु वल्द राम सा.देह	355/1	2.027	0.014
योग				0.811

1- चूंकि ईटारसी-नागपुर तीसरी लाईन हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

JRP

(तरुण कुमार पिथोड़े)

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,


मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग



पृ0क0 35 अ-82/वर्ष 16-17/ मुलताई ⁵²⁹⁸/
प्रतिलिपि:-

बैतूल दिनांक 4 - 6-2019

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन बैतूल जिले में सर्वाधिक प्रकाशित दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- उप मुख्य अभियन्ता निर्माण मध्य रेल्वे अजनी नागपुर (महा0) अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन आई सी) बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 9- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत मुलताई तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।


अपर कलेक्टर एवं
प्र0अ0भू-अर्जन शाखा बैतूल